रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में जांच से हाइकोर्ट असंतुष्ट, मांगी पूरी जांच रिपोर्ट

संवाददाता

रांची : रेमडेसिविर कालाबाजारी जांच मामले में हाइकोर्ट की ओर से लिए गए स्वतः संज्ञान मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने अपने आवासीय कार्यालय से मामले की सुनवाई की, जिसमें अदालत ने जांच कर रहे पदाधिकारी से जांच के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी। जांच पदाधिकारी की ओर से दिए गए जवाब पर अदालत संतुष्ट नहीं हुई। जांच पदाधिकारी के जवाब में विरोधाभास पर अदालत ने नाराजगी जताई। साथ ही जांच पदाधिकारी को एसआईटी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज अदालत में पेश करने का निर्देश दिया। वहीं जांच कर रहे एडीजी अनिल पलटा अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत को बताया गया कि एडीजी किसी कार्य से दिल्ली गए हैं। इस पर झारखंड हाइकोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तिथि 15 जुलाई तय कर दी। वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान अदालत ने केस के जांच के बिंदु पर जांच पदाधिकारी से मौखिक रूप से पूछा कि जांच की अद्यतन स्थिति क्या है। पदाधिकारी ने बताया कि जांच चल रही है। अदालत ने जांच में जानना चाहा कि ग्रामीण एसपी को उसमें कैसे गवाह बनाया गया है? इस पर पदाधिकारी ने जो जवाब दिया, उससे असंतुष्ट कोर्ट ने नाराजगी जताई। मालूम हो कि रेमडेसिविर का कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान जमकार कालाबाजारी की गई थी। इसकी जानकारी पर झारखंड हाइकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की थी।

कोरोना काल में लगाये गये बेड दिखाकर गुमराह नहीं करें

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को सदर हॉस्पिटल सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने हॉस्पिटल में आक्सीजन प्लांटेंड बेड को लेकर सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्तमान में हॉस्पिटल का स्टेटस कोरोना के सेकेंड फेज के समय का है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग कोरोना काल में लगाए गए बेड को दिखाकर कोर्ट को गुमराह न करे। इस दौरान विजेता कंपनी ने हॉस्पिटल का 84 फीसदी काम करने का दावा किया, जबकि सरकार ने अपनी रिपोर्ट में करीब 81.5 फीसदी काम होने की बात कही थी। कंपनी अगले हफ्ते सरकार के शोकॉज का जवाब देगी। वहीं हॉस्पिटल का पूरा निर्माण करने को लेकर कंपनी की ओर से एफिडेविट अगले हफ्ते फाइल की जाएगी। मामले की सुनवाई अगले हफ्ते गुरुवार को होगी।

तीन बार कंपनी की डेडलाइन फेल : अधिवक्ता सौरव अरुण ने कोर्ट को बताया कि हॉस्पिटल के निर्माण को लेकर तीन बार कंपनी की डेडलाइन फेल हो चुकी है। इसके बावजूद आज तक हॉस्पिटल का काम पूरा नहीं हो पाया है। वहीं राज्य सरकार की ओर से हॉस्पिटल के काम पूरा करने को लेकर जो एफिडेविट फाइल की गई है उसमें डेडलाइन का जिक्र नहीं है। अदालत ने कहा कि एप्रूव्ड प्लान के हिसाब से काम पूरा हुआ या नहीं इसकी भी पूरी जानकारी दें। इसके अलावा लिफ्ट, इंवायरोमेंट क्लीयरेंस, फायर फाइटिंग, किचन, लाउंड्री, जनरेटर समेत सभी सुविधाओं की भी जानकारी मांगी गई। हाइकोर्ट में 22 जून को सदर हॉस्पिटल मामले में सुनवाई हुई थी, जिसमें हाइकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग से पूछा था कि अभी सदर हॉस्पिटल का क्या स्टेटस है, इसकी पूरी डिटेल एफिडेविट के साथ अगली सुनवाई में बताएं। साथ ही यह बताएं कि 500 बेड का हॉस्पिटल को पूरी तरह से चालू होने में और कितना टाइम लगेगा, जिससे कि इलाज के लिए आने वाले मरीजों को हॉस्पिटल में ही सारी सुविधाएं मिल सके। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी बताने को कहा था कि अब तक हॉस्पिटल में कौन-कौन सी मशीनें और इक्विपमेंट्स लगाई जा चुकी है। इसे लेकर एक जुलाई को सुनवाई होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से सुनवाई की तिथि आठ जुलाई कर दी गई थी।

रथ यात्रा पर हाइकोर्ट में सुनवाई आज

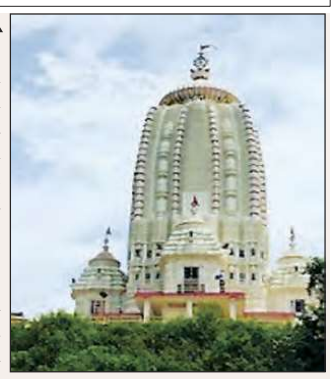

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में रांची के जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकालने की मांग को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस मामले में शुक्रवार को हाइकोर्ट में सुनवाई होगी। इसे लेकर वरीय अधिवक्ता अजित कुमार ने सुनवाई का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कुछ शर्तों के साथ रथ यात्रा निकलने की अनुमति दी जाए। हाइकोर्ट में इस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। मालूम हो कि जगन्नाथ मंदिर न्यास समिति की ओर से यह याचिका अधिवक्ता कुशल कुमार ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि पिछले तीन सौ साल से रांची के जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकलती है। लेकिन पिछले साल कोरोना संक्रमण को देखते हुए रथ यात्रा नहीं निकली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पुरी में रथ यात्रा निकालने अनुमति प्रदान की थी। उसी के अनुसार रांची में जगन्नाथ मंदिर से मौसीबाड़ी तक रथ यात्रा निकालने की अनुमति प्रदान की जाए। याचिका में कहा गया है कि रथ यात्रा में मात्र 101 लोग शामिल होंगे। जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन प्राप्त की हो और जिनकी रिपोर्ट निगेटिव हो। याचिका में राज्य सरकार के 30 जून के अनलॉक के आदेश में संशोधन की मांग की गई है। इस आदेश में राज्य के मंदिरों को खोलने और जुलूस निकालने पर रोक लगाई गई है। प्रार्थी ने अदालत से कुछ शर्तों के साथ सीमित लोगों के साथ रथ यात्रा निकालने की अनुमति देने की मांग की है।

सीआईडी के 13 पुलिस अवर निरीक्षकों का तबादला

13 पदाधिकारियों को बनाया गया प्रभारी डीसीबी और एक को प्रभारी जीपी शाखा

संवाददाता

रांची : अपराध अनुसंधान विभाग, (सीआईडी) झारखंड में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक स्तर के 13 पदाधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। इन सभी को अलग-अलग जिलों के डीसीबी प्रभारी बनाया गया है। इस संबंध में सीआईडी एडीजी प्रशांत सिंह के कार्यालय से एक आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार सीआईडी टीम हजारीबाग में प्रतिनियुक्त पुअनि सत?येंद्र प्रसाद सिंह को प्रभारी डीसीबी कोडरमा, सीआईडी टीम हजारीबाग में पदस्थापित पुअनि विधानचंद्र पटेल को प्रभारी डीसीबी रामगढ़, सीआईडी टीम रांची में प्रतिनियुक्त पुअनि जबेदुल?ला अंसारी को प्रभारी डीसीबी रांची, सीआईडी टीम हजारीबाग में पुअनि कुणाल कुमार को प्रभारी डीसीबी हजारीबाग, सीआईडी मुख्यालय प्रतिनियुक्त मपुअनि अनुराधा भगत को प्रभारी डीसीबी खूंटी, सीआईडी टीम दुमका में प्रतिनियुक्त पुअनि मनीष कुमार को प्रभारी डीसीबी दुमका, सीआईडी टीम बोकारो में प्रतिनियुक्त पुअनि राम प्रकाश सिंह को प्रभारी डीसीबी बोकारो, सीआईडी टीम साहेबगंज में प्रतिनियुक्त पुअनि मिथिलेश कुमार सिंह को प्रभारी डीसीबी चाईबासा, सीआईडी टीम जमशेदपुर में प्रतिनियुक्त पुअनि उमेश प्रसाद सिंह को प्रभारी डीसीबी जमशेदपुर, अपअनुवि ओआर में प्रतिनियुक्त पुअनि शिवा कच्छप को प्रभारी डीसीबी गुमला, अपअनुवि ओआर में प्रतिनियुक्त पुअनि निरंजन कुमार महतो को प्रभारी डीसीबी पलामू, अपअनुवि ओआर में प्रतिनियुक्त पुअनि अमरजीत कुमार मिश्रा को प्रभारी डीसीबी धनबाद और प्रभारी अवकाश शाखा में प्रतिनियुक्त पुअनि छांगुर राम को प्रभारी जीपी शाखा बनाया गया है। सभी पुलिस अवर निरीक्षकों को स्थानांतरित डीसीबी/शाखा में अविलंब योगदान देने का आदेश दिया गया है।

एक झलक

एनपीएस में सरकारी 14 फीसदी अंशदान को लेकर आदेश जारी

रांची : राज्य के कर्मचारियों के एनपीएस में राज्य सरकार की ओर से बढाये गये 14 फीसदी अंशदान को लेकर गुरुवार को सरकार ने आदेश जारी कर दिया। मालूम हो कि कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मियों के एनपीएस (नेशनल पेंशन स्कीम) के तहत सरकारी अंशदान की राशि 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 14 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया था। रिटायर होने पर कर्मियों को मूल वेतन और महंगाई भत्ता के जोड़ का कुल 14 फीसदी एनपीएस के तहत प्राप्त होगा। यह फैसला एक जुलाई 2021 की तिथि से प्रभावी होगा और इस पर राज्य के खजाने पर लगभग 342 करोड़ का बोझ बढ़ेगा। एक दिसंबर 2004 के प्रभाव से राज्य की सेवा में नियुक्त कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू की गयी थी। एक दिसंबर 2004 को या उसके बाद नियुक्त कर्मियों के मासिक वेतन से मूल वेतन और महंगाई भत्ता के जोड़ के 10 फीसदी राशि की कटौती अंशदान के रूप में की जाती थी। अब इसे कर्मी के मासिक मूल वेतन और महंगाई भत्ता के योग के 14 फीसदी राशि के समतुल्य निर्धारित किया गया है।

नाना की हत्या के मामले में नाती को भेजा गया जेल

नहीं काम आया मानसिक रूप से कमजोर होने का गुहार लगाना

रांची : अपने 85 वर्षीय नाना सर्वदेव सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके नाती मयंक कुमार सिंह को जेल भेज दिया। कोर्ट में प्रस्तुत करने से पूर्व पुलिस ने उसका मेडिकल जांच भी कराया था। हालांकि उसके परिजनों को मयंक के संबंध में मानसिक रूप से कमजोर होने की जानकारी देना फिलहाल काम नहीं आया है। मालूम हो कि कोतवाली इलाके में भुईयाटोली में रहने वाले सर्वदेव सिंह की हत्या मंगलवार की रात में पीट-पीटकर कर दी गयी थी। सिर में चोट लगने के कारण सर्वदेव सिंह की मौत हो गयी थी। बुधवार को छानबीन के बाद कोतवाली पुलिस ने सर्वदेवी सिंह की हत्या के मामले में उसके नाती को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि परिजनों के अग्राह पर पुलिस ने कहा था कि मयंक को जेल भेजा जायेगा या इलाज के लिए रिनपास इस पर निर्णय उसके मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट लेगी। कोतवाली इस्पेक्टर शैलेश प्रसाद ने बताया कि अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। जरूरी होने पर जेल अस्पताल में उसका इलाज किया जायेगा।

मेयर ने सफाई, सेनिटाइजेशन फॉगिंग कराने का दिया निर्देश

एक हजार अक्सीजन सिलेंडर रखने के लिए निगम के पास पर्याप्त जगह नहीं : नगर आयुक्त

संवाददाता

रांची : गुरुवार को वर्चुअल मोड़ में रांची नगर निगम परिषद् की बैठक हुई। मेयर आशा लकड़ा ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि शहर की साफ-सफाई व कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए सैनिटाइजर व फॉगिंग पर विशेष ध्यान दें। साथ ही बारिश के मौसम में विभिन्न वार्डों में हो रहे जलजमाव की समस्या का समान करने का निर्देश दिया। इसके अलावा परिषद् की बैठक में 19 अप्रैल की स्थाई समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के तहत दो एम्बुलेंस, दो शव वाहन व एक हजार ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीदारी का मामला पार्षदों ने उठाया। ताकि कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से पूर्व जीवन रक्षक संसाधनों की तैयारी पूरी हो सके। पार्षदों के इस प्रश्न पर नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने जगह की कमी का हवाला देते हुए कहा कि एक हज़ार अक्सीजन सिलेंडर रखने के लिए रांची नगर निगम के पास पर्याप्त जगह नहीं है। नगर आयुक्त के इस जवाब पर मेयर ने पत्राचार कर कहा कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए जल्द से जल्द एम्बुलेंस, शव वाहन व एक हजार अक्सीजन सिलेंडर की खरीदारी से संबंधित प्रक्रिया पूरी करें। एक हजार अक्सीजन सिलेंडर के लिए जगह उपलब्ध करा दिया जायेगा। मेयर ने बताया कि साफ-सफाई व स्वच्छता के मुद्दे पर बैठक पूरी नहीं हो सकी। मेयर ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि रांची नगर निगम परिषद् की फिजिकल बैठक आहुत करने के लिए कोविड गाइडलाइन के तहत उपायुक्त से निर्देश प्राप्त कर जल्द से जल्द सूचित करें।

स्कूलों को ई-विद्या वाहिनी वेबसाइट को अपडेट करने का निर्देश

अपडेट नहीं करनेवाले प्रधानाचार्यों का रूकेगा वेतन

संवाददाता

रांची : शिक्षा विभाग ने जिले के सभी सरकारी हाई स्कूल और प्लस टू स्कूलों को 13 जुलाई तक विद्यार्थियों से संबंधित डेटा अपडेट करने का निर्देश दिया है। डीईओ की ओर से सभी कोटि के स्कूलों और सभी जिला तथा प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा गया है कि विभाग की छह जुलाई की हुई समीक्षा बैठक में सचिव ने कहा है कि जिले के ऐसे स्कूल जो निर्धारित समय तक डेटा अपडेट नहीं करते हैं तो ऐसे प्रभारी शिक्षक, प्रधानाचार्य और प्रचार्यों का वेतन रोक दिया जायेगा। डीईओ ने कहा है कि विभाग की ओर से भी स्कूलों को 15 जून तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के डेटा अपडेट करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन छह जुलाई तक महज 49 फीसदी स्कूलों द्वारा डेटा अपडेट का काम किया गया। पत्र में कहा गया है कि डेटा अपडेशन के दौरान कक्षा10 और 12वीं में अध्ययनरत बच्चे जिनका रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है। ऐसे स्कूलों को छोड़कर अन्य कक्षा के बच्चों का अपडेशन का कार्य करें। साथ ही इस दौरान डेटा को फ्रीज नहीं करने को कहा गया है। जुलाई माह का वेतन निकासी करने के दौरान स्कूलों के प्रचार्यों से एसडीएमआईएस डेटा फ्रीज करने से संबंधित कागजात जमा करने को कहा गया है। वहीं उत्क्रमित हाई स्कूलों,हाई स्कूल और प्लस टू स्कूल के प्राचार्यों के वेतन निकासी और व्ययन पदाधिकारी द्वारा कक्षा 10 और 12वीं के विद्यार्थियों को छोड़कर अन्य कक्षा के विद्यार्थियों के अपडेशन कार्य समाप्त होने के बाद जारी करने का निर्देश दिया गया है। अपडेशन नहीं करनेवाले निजी स्कूलों की मान्यता पर विचार नहीं पत्र में कहा गया है कि डेटा अपडेशन का काम नहीं करनेवाले निजी स्कूलों को जिन्हें शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अंतर्गत मान्यता दिया जाना है उनकी मान्यता पर विचार नहीं किया जायेगा और इस संबंध में संबंधित प्राधिकार को सूचित किया जायेगा।

एचईसी ने जेएन कॉलेज को दी 10 एकड़ जमीन

कॉलेज के विकास को मिलेगी गति

संवाददाता

रांची : विश्वविद्यालय में कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार के नेतृत्व में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। एचईसी ने जेएन कॉलेज धुर्वा को 10 एकड़ भूमि लीज पर उपलब्ध कराने के लिये चिन्हित कर दिया है। महाविद्यालय प्रशासन ने कुलपति के निर्देश पर भूमि का डिमार्केशन कर 10 एकड़ भूमि में पत्थर भी लगा दिया है। कुछ ही दिनों में इसकी फेंसिंग भी कर दी जाएगी। कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार ने स्वयं उपस्थित रह कर इसका निरीक्षण किया और प्राचार्य को उचित दिशा निर्देश भी दिया। अब जेएन कॉलेज के विकास के मार्ग खुल गए हैं। इससे महाविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्रों एवं क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर छा गइउ है। अब कॉलेज की नई बिल्डिंग के लिए राज्य सरकार और यूजीसी से राशि प्राप्त हो सकेगी और नए-नए कोर्स प्रारंभ किए जा सकेंगे। यह जानकारी विश्वविद्यालय के उपकुलसचिव सह जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर प्रीतम कुमार ने दी।

ठगी के मामले में गिरफ्तार बिल्डर को पुलिस ने भेजा जेल

रांची : राज्य के एक पूर्व सीएम के पीए रहे तापस मलिक सहित कई लोगों से करोड़ों की ठगी करने के मामले में गिरफ्तार बिल्डर राकेश रंजन को पुलिस ने गुरुवार को जेल भेज दिया। पुलिस ने उसे दो दिन पूर्व अरगोड़ा चौक के समीप से गिरफ्तार किया था। बिल्डर के विरूद्ध अरगोड़ा थाना में मुकदमा दर्ज है। कोविड टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने उसे जेल पहुंचाया है। पुलिस के अनुसार तापस मलिक ने अरगोड़ा चौक के समीप यशोधरा गार्डेन में दो फ्लैट बुक किया था। उन्होंने फ्लैट के लिए कई किस्तों में बिल्डर को लाखों रुपये दिये थे। अपार्टमेंट का निर्माण कार्य रूक जाने की वजह से तापस मलिक ने फ्लैट के लिए दिए पैसे वापस करने को कहा। कई बार करने पर उन्हें न फ्लैट मिला न राशि। इसको लेकर ही उन्हें पुलिस से शिकायत की थी।

झारखण्ड सरकार

कार्यालय : जिला मत्स्य पदाधिकारी, रामगढ़

अति अल्पकालिन "इच्छा की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण सूचना

विभागीय राज्योदश सं0 01, दिनांक 07.06.2021 के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021–2022 में तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना के अन्तर्गत रामगढ़ जिला के जलाशयों में तथा पुराने आर0 एफ0 एफ0 में मेजर कार्प तथा ग्रास कार्प एवं जलाशयों में अधिष्ठापित केजों में GIFT तिलापिया के बीजों के संचयन हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तदनुरूप GIFT तिलापिया, मेजर कार्प एवं ग्रास कार्प के बीजों के क्रय एवं आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्त्ता – बीज उत्पादकों से निम्नांकित शर्तो के अधीन अति अल्पकालिन इच्छा की अभिव्यक्ति आंमत्रित की जाती है –

1. समान मूल्य दर पर स्थानीय मत्स्य बीज उत्पादकों / प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
2. मेजर कार्प अंगुलिका की स्थिति में एक मत्स्य बीज उत्पादक से न्यूनतम 50 हजार तथा अधिकत्तम 02 लाख मत्स्य अंगुलिका ही क्रय किये जाएँगे।
3. मत्स्य अंगुलिका का जलाशय में संचयन उपायुक्त महोदय द्वारा गठित समिति एवं जलाशय के निबंधित सहयोग समिति के सदस्यों की उपस्थिति में किया जाएगा।
4. स्थल निरीक्षण के उपरान्त भंडारित बीज की गुणवत्ता के आलोक में आपूर्तिकर्त्ता बीज उत्पादक के चयन पर अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।
5. आपूर्तिकर्त्ता बीज उत्पादक को रामगढ़ जिला के भैरवा एवं नलकरी जलाशय तक परिवहन कर गुणवक्तायुक्त स्वास्थ्यकर अवस्था में बीज की गणना कर समिति की उपस्थिति में निर्धारित तिथि को संचयन करना होगा।

सुयोग्य एवं इच्छुक आपूर्तिकर्त्ता –सह– बीज उत्पादक (जिनके पास बीज भंडारित है) जिला मत्स्य कार्यालय, रामगढ़ से शुल्क सहित प्रपत्र प्राप्त कर दिनांक 16.07.2021 तक "इच्छा की अभिव्यक्ति" का आवेदन जमा कर सकते हैं।

जिला मत्स्य पदाधिकारी,
रामगढ़

PR 249262 (Fish) 21-22 (D)

ईएसएल स्टील लिमिटेड

(पूर्व नाम इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालय:- ग्राम- सियालजोरी, पोस्ट-जोगिडीह, ओ.पी.- बनगड़िया, पीएस - चंदनक्यारी, जिला-बोकारो - 828303, झारखंड

दूरभाष नं. :08651-102477; वेबसाइट : https://www.eslsteel.com/ ; ईमेल : esl.shares@vedanta.co.in

सीआईएन : U27310JH2006PLC012663

14वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना

आपको यह सूचित किया जाता है कि कोविड-19 महामारी के वैश्विक प्रकोप के मद्देनजर कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा सर्कुलर के अनुसार ईएसएल स्टील लिमिटेड ('कंपनी') की 14वीं वार्षिक साधारण बैठक ('एजीएम') दो माध्यम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य ऑडियो विजुअल साधनो (ओएवीएम) के जरिए 30 जुलाई, 2021 को दोपहर 2:30 बजे आयोजित होगी

कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट https://www.eslsteel.com/ पर और केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (केफिनटेक) की वेबसाइट https://emeetings.kfintech.com/ पर उपलब्ध है।

सदस्यगण सिर्फ केफिनटेक के द्वारा प्रदान वीसी/ओएवीएम की सुविधा के जरिए बैठक में शामिल तथा भाग ले सकते हैं, जिसका विवरण एजीएम की सूचना में उपलब्ध है। कृपया ध्यान दे कि कंपनी की 14वी एजीएम में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने और भाग लेने के कोई भी प्रावधान नहीं है तथा कोरम की गणना के उद्देश्य से वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में शामिल होने वाले सदस्यों की उपस्तिथि की गिनती की जाएगी

एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से 06 जुलाई, 2021 को भेज दिए गए है जिनके ई-मेल का पता कंपनी/डिपॉजिटरी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास पंजीकृत है। जिन सदस्यो ने अपने ई-मेल पता पंजीकृत नही किया है, उनसे एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अपने ई-मेल पते के पंजीकरण के लिए नीचे उल्लेखित प्रक्रियाओ का पालन करने का अनुरोध किया जाता है:

1) सदस्य अस्थायी रूप से लिंक पर पहुंचकर केफिनटेक के साथ प्रदान किया गया अपना ईमेल पता और मोबाइल नंबर प्राप्त कर सकते हैं : https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/ mobileemailreg.aspx सदस्यों से अनुरोध है कि वे यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ नोटिस और ई-वोटिंग निर्देशो की सॉफ्ट कॉपी भेजने के लिए ईमेल पते और मोबाइल नंबर को कैप्चर करने के लिए निर्देशित प्रक्रिया का पालन करें। किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य einward.ris@kfintech.com पर लिख सकते है।

2) वैकल्पिक रूप से सदस्य ईमेल आईडी einward.ris@kfintech.com पर ईमेल पता, मोबाइल नंबर, रय-सत्यापित पैन, क्लाइंट प्रदान करने वाले अनुरोध पत्र की हस्ताक्षरित स्कैन की गई कॉपी के साथ एक ई-मेल अनुरोध भेज सकते है। वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना और ई-वोटिंग निर्देश भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में मास्टर कॉपी और भौतिक फोलियो के मामले मे शेयर प्रमाण पत्र की कॉपी भेज सकते है।

कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम में चर्चा किए जाने वाले व्यावसायिक विषयों के सम्बन्ध में एजीएम से पहले तथा एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है और इस उद्देश्य के लिए, कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम साधनो द्वारा वोटिंग की सुविधा हेतु केफिनटेक को नियुक्त किया है। एजीएम के लिए रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 27 जुलाई, 2021 (सुबह 9 बजे) से शुरू होगी और गुरुवार, 29 जुलाई, 2021 (5.00 बजे) को समाप्त होगी। उसके बाद एजीएम के लिए रिमोट ई-वोटिंग का प्रारूप नियक्त कर दिया जाएगा। बैठक में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने अभी तक रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नही डाला है, बैठक के दौरान अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात 23 जुलाई, 2021 को सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, वह एजीएम से पहले/उसके दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना के बाद शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखता है, रिमोट ई-वोटिंग के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए ईवोटिंग evoting@Kfintech.com पर अनुरोध भेज सकता है। रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए है।

किसी भी प्रश्न के मामले में https://evoting.kfintech.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका का संदर्भ ले सकते हैं या सुश्री शोभा आनंद, उप. महाप्रबंधक, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से evoting@kfintech.com पर संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 1-800-309-4001 पर कॉल करें।

ईएसएल स्टील लिमिटेड के लिए
मनीष कुमार चौधरी
कंपनी सचिव

स्थान: बोकारो
दिनांक: 06 जुलाई, 2021

कार्यालय, विद्युत कार्यपालक अभियंता
विद्युत कार्यप्रमंडल, इन्जीनियर्स हॉस्टल धुर्वा, राँची

अति अल्पकालिन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या – 13/21–22.

1. विभाग का नाम :- उर्जा विभाग।
2. विज्ञापन दाता का पदनाम :- विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, राँची।
3. परिमाण विपत्र बिकी की अंतिम तिथि :- दिनांक 15/07/2021 तक (2.00 बजे अपराह्न तक)
4. निविदा प्राप्ति की तिथि :- दिनांक 16/07/2021 को 2.00 बजे अपराह्न तक।
5. निविदा खोलने की तिथि :- दिनांक 16/07/2021 को 3.00 बजे अपराह्न में।
6. परिमाण विपत्र बिकी का स्थान :- नगर नियंत्रण कक्ष, राँची, / विद्युत अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत कार्य अंचल राँची, एव विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल, राँची।
7. निविदा प्राप्ति का स्थान :- नगर नियंत्रण कक्ष, राँची।
8. निविदा खोलने का स्थान :- विद्युत कार्य प्रमण्डल, राँची।

क0 सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	बरकट्ठा, हजारीबाग स्थित सूर्य मंदिर के परिसर में स्ट्रीट लाईट एवं फल्ड लाईट के अधिष्ठापन का कार्य।	9,93,937.00	20,000.00	1250.00	14 दिन

Note :- Terms & Condition also available in our website www.jharkhand.gov.in and our office Notice Board.

विद्युत कार्यपालक अभियंता,
विद्युत कार्य प्रमंडल, राँची

PR 249279 Energy(21-22)#D

झारखण्ड सरकार

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, हजारीबाग

अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 03/2021–22

1.	निविदा आमंत्रित करने वाले कार्यालय का नाम	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, हजारीबाग।
2.	परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि एवं समय	दिनांक 19.07.2021 (कार्यालय दिवस में 11:00 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक)।
3.	निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय	दिनांक 20.07.2021 (अपराह्न 03:00 बजे तक)।
4.	निविदा खुलने की तिथि एवं समय	दिनांक 20.07.2021 (अपराह्न 03:30 बजे)।
5.	परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान	कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, हजारीबाग।
6.	निविदा प्राप्ति एवं खोलने का स्थान	जिला नियंत्रण कक्ष, हजारीबाग

ग्रुप सं0	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख)	अग्रधन की राशि (रू0)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रू0)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हजारीबाग	ढाढी	प्रखण्ड–सह–अंचल कार्यालय एवं आवासीय भवनों का मरम्मति कार्य।	1955200.00	39500.00	5000.00	6 माह
2	हजारीबाग	टाटीझरिया	प्रखण्ड–सह–अंचल कार्यालय एवं आवासीय भवनों का मरम्मति कार्य।	1749400.00	35000.00	5000.00	6 माह
3	हजारीबाग	i. चलकुशा	प्रखण्ड–सह–अंचल कार्यालय एवं आवासीय भवनों का मरम्मति कार्य।	2251700.00	45500.00	5000.00	6 माह
		ii. बरकट्ठा	डीप बोरिंग एवं सबमर्सीबुल पम्प सेट का अधिष्ठापन।				
4	हजारीबाग	दारु	प्रखण्ड–सह–अंचल कार्यालय एवं आवासीय भवनों का मरम्मति कार्य।	1511900.00	30500.00	5000.00	6 माह
5	हजारीबाग	केरेडारी	प्रखण्ड–सह–अंचल कार्यालय एवं आवासीय भवनों का मरम्मति कार्य।	970600.00	19500.00	1250.00	6 माह

नोट: 1. प्राक्कलित राशि घट–बढ़ सकती है, तद्नुसार अग्रधन की राशि देय होगी।
2. निविदा शुल्क किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रुप में स्वीकार किया जाएगा, जो लौटाया नहीं जाएगा। बैंक ड्राफ्ट कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेश प्रमण्डल, हजारीबाग के पदनाम से देय होगा।
3. 10% प्रतिशत से न्यून निविदाओं के लिए additional performance security के रुप में परिमाण विपत्र की राशि से– i. 10% से 20% below तक की राशि का 20% तथा
ii. 20% से अधिक below की राशि का 30% अतिरिक्त जमानत का प्रावधान लागू होगा।

विस्तृत जानकारी के लिए निविदा की शर्तें कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल,
हजारीबाग

PR 249301(Rural Development)21-22*D